

## L'Oréal (लॉरियल कर्मचारी शेयर योजना 2026)

### (L'Oréal एम्प्लोयी शेयर प्लान 2026)

### भारत के लिए स्थानीय अनुपूरक (लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया)

आपको L'Oréal ग्रुप कर्मचारी शेयर योजना 2026 ("2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना") के तहत L'Oréal एस.ए. के शेयरों ("L'Oréal शेयर") में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस स्थानीय पूरक में, आपको भारत में रहने वाले पात्र कर्मचारियों पर लागू होने वाली योजना के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें उनकी भागीदारी के कर/टैक्स परिणाम भी शामिल हैं:

**भाग ए (PART A)** उन अभ्यावेदनों, वारंटियों और समझौतों का सामान्य विवरण है जिन्हें आप तब स्वीकार करते हैं जब आप योजना में भाग लेते हैं (भाग ए भारत के लिए एक स्थानीय सूचना दस्तावेज है जो योजना का हिस्सा है), और

**भाग बी (PART B)** भारत में प्रतिभागियों के लिए सामान्य कर/टैक्स जानकारी प्रदान करता है।

L'Oréal शेयर यूरोनेक्सट पेरिस (Euronext Paris) पर सूचीबद्ध हैं। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत L'Oréal शेयरों को खरीदकर, आप इसके नियमों और शर्तों से बंधे होने के लिए सहमत होते हैं, और आपका निवेश उनके अधीन होगा। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के पूर्ण विवरण के लिए, कृपया कर्मचारी सूचना ब्रोशर, मुख्य सूचना दस्तावेज, और L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना से संबंधित अन्य दस्तावेजों को देखें, जो इस स्थानीय पूरक के साथ प्रदान किए गए हैं, जो <https://invest.loreal.com> पर उपलब्ध हैं। यदि आपको अपनाए जाने वाले मार्ग के संबंध में कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने कर/टैक्स सलाहकार, एकाउंटेंट, वकील, या अन्य पेशेवर सलाहकारों से परामर्श लें।

प्रस्ताव में भाग लेने या न लेने का निर्णय आपका है, अपनी परिस्थितियों और आपको प्राप्त किसी भी स्वतंत्र सलाह को ध्यान में रखते हुए। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना में भाग लेने का आपका निर्णय L'Oréal समूह के साथ आपके रोजगार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। वर्तमान दस्तावेज में या 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के संबंध में आपको वितरित या उपलब्ध कराई गई किसी भी अन्य सामग्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके रोजगार के संबंध में कोई अधिकार या हकदारी प्रदान करेगा। इस योजना में भागीदारी आपके रोजगार समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं बनती है।

यह 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना ईयू प्रोस्पेक्टस रेगुलेशन 2017/1129/EC के अनुच्छेद 1.4(i) में प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करने से छूट पर निर्भर करती है।

## भाग ए

### स्थानीय प्रस्ताव जानकारी (लोकल ऑफरिंग इनफार्मेशन)

#### सदस्यता अवधि (सब्सक्रिप्शन पीरियड)

सदस्यता की अवधि 10 जून, 2026 को शुरू होती है, और 24 जून, 2026 (सहित) को समाप्त होती है। आप सदस्यता अवधि के दौरान L'Oréal शेयरों की सदस्यता लेने के लिए 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत अपने आदेश जमा कर सकते हैं। आपका सदस्यता आदेश सदस्यता अवधि के अंतिम दिन अंतिम, बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय हो जाएगा।

सदस्यता अवधि के दौरान, आप <https://invest.loreal.com> पर ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं। आपको ईमेल या डाक मेल द्वारा एक उपयोगकर्ता नाम (username) और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आपके पास इंटरनेट का उपयोग नहीं है, तो आप पेपर सदस्यता फॉर्म का उपयोग करके भी सदस्यता ले सकते हैं। कृपया सदस्यता फॉर्म प्राप्त करने के लिए अपने मानव संसाधन (Human Resources) विभाग से संपर्क करें।

जब तक आप ऑनलाइन सदस्यता नहीं लेते, कृपया अपना विधिवत भरा हुआ सदस्यता फॉर्म और आवश्यक संलग्नक 24 जून, 2026 से पहले अपने मानव संसाधन विभाग को वापस कर दें। यदि आप एक पेपर सदस्यता फॉर्म जमा करते हैं और <https://invest.loreal.com> के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता भी लेते हैं, तो ऑनलाइन सदस्यता का उपयोग किया जाएगा और अंतिम माना जाएगा, और पेपर सदस्यता को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

## सदस्यता मूल्य (सब्सक्रिप्शन प्राइस)

शेयर्स सदस्यता का मूल्य 5 जून, 2026 (05-06-2026) को निर्धारित किया जाएगा, जो पिछले 20 कारोबारी (ट्रेडिंग) दिनों में L'Oréal शेयरों की औसत शुरुआती कीमत के आधार पर निर्धारित की जायेगी, जिस पर आपको 20% छूट मिलेगी।

आप अपना निवेश भारतीय रुपये (INR/₹) में करेंगे। निवेश उद्देश्यों के लिए, INR/₹ में आपके भुगतान की राशि को आपके नियोक्ता द्वारा यूरो (€) में परिवर्तित किया जाएगा क्योंकि L'Oréal शेयर यूरो (€) में सूचीबद्ध हैं। इस रूपांतरण के लिए लागू विनिमय दर सदस्यता अवधि की शुरुआत से पहले L'Oréal द्वारा निर्धारित की जाएगी और सदस्यता मूल्य के साथ आपको सूचित की जाएगी। INR (₹) में आपके निवेश के अनुरूप यूरो (€) में राशि को शेयरों की डिलीवरी की तारीख पर FCPE के माध्यम से L'Oréal शेयरों में निवेश किया जाएगा। L'Oréal द्वारा निर्धारित विनिमय दर और विदेश में निधियों के वास्तविक प्रेषण की तारीख पर लागू विनिमय दर के बीच कोई भी भिन्नता आपके निवेश की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।

**महत्वपूर्ण नोट:** आपके निवेश की पूरी अवधि के दौरान, L'Oréal शेयरों का मूल्य यूरो (€) और INR (₹) के बीच मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होगा। परिणामस्वरूप, यदि यूरो (€) का मूल्य INR (₹) के मुकाबले मजबूत होता है, तो INR में व्यक्त शेयरों के मूल्य में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, यदि यूरो का (€) मूल्य INR (₹) के मुकाबले कमजोर होता है, तो INR में व्यक्त शेयरों के मूल्य में कमी आएगी। इसके बाद, € और ₹ के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आपके निवेश को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

## भुगतान की विधि (मेथड ऑफ़ पेमेंट)- मेरी सदस्यता के लिए कौन-सी भुगतान विधियां उपलब्ध हैं?

निम्नलिखित भुगतान विधियां उपलब्ध हैं:

- आपके द्वारा सदस्यता मूल्य का बैंक हस्तांतरण (एनईएफटी (NEFT) या आरटीजीएस. (RTGS)) द्वारा भुगतान, और/या
- कुल सदस्यता मूल्य के लिए वित्तपोषण (फाइनेंसिंग फॉर द फुल सब्सक्रिप्शन प्राइस)।

आप उपरोक्त भुगतान विधियों में से किसी एक, या उनके संयोजन का उपयोग करके अपनी सदस्यता के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको सदस्यता फॉर्म में अपना भुगतान विधि विकल्प इंगित करना होगा।

यदि आप बैंक हस्तांतरण द्वारा अपनी सदस्यता का भुगतान करना चुनते हैं, तो आपके नियोक्ता को 10 जुलाई, 2026 (10-07-2026) और 21 जुलाई, 2026 (21-07-2026) के बीच कुल सदस्यता राशि का भुगतान प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही, बैंक हस्तांतरण करते समय, कृपया अपने मानव संसाधन (HR) विभाग में नामित व्यक्ति को हस्तांतरण का प्रमाण प्रस्तुत करें। जिस बैंक खाते में भुगतान किया जाना है उसका विवरण सदस्यता अवधि शुरू होने से पहले आपको ईमेल कर दिया जाएगा।

वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) एक अल्पकालिक 'ब्याज-मुक्त' ऋण के रूप में होगा, जो अगस्त 2026 से शुरू होने वाले मासिक पेरोल कटौती के माध्यम से 10 (दस) महीनों में आपके वेतन से चुकाने योग्य/वसूली योग्य होगा। कृपया ध्यान दें कि आपके मासिक वेतन से आपकी सदस्यता राशि की कटौती आपके मासिक वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि उक्त वित्तपोषण ब्याज-मुक्त होगा, लेकिन आयकर अधिनियम के तहत, एक कल्पित (notional) ब्याज प्रभार्य होगा और इसे एक अनुलाभ (परकिसीट्स/perquisite) के रूप में माना जाएगा, जो चुकौती तक आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा।<sup>1</sup> यदि आप ऋण के भुगतान से पहले रोजगार छोड़ देते हैं, तो आपका नियोक्ता पूर्ण और अंतिम निपटान के समय आपके पेरोल/वेतन से अवैतनिक योगदान और लागत (यदि कोई हो) में कटौती करने का हकदार होगा।

## भुगतान में चूक का मामला (डिफॉल्ट ओएफ पेमेंट केस)

यदि आप समय पर वेतन अग्रिम चुकाने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो आपके नियोक्ता को, आपके चूक करने पर, वेतन अग्रिम, और खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक इकाइयों/शेयरों की संख्या बेचने का अधिकार होगा, बिना किसी पूर्व सूचना के, या आपसे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए, और क्षतिपूर्ति के किसी भी अधिकार के बिना। इकाइयों/शेयरों

<sup>1</sup> अधिक विवरण भाग बी - "कर अनुभाग" में प्रदान किया गया है।

की ऐसी बिक्री का आप पर कर/टैक्स प्रभाव पड़ सकता है, जिसे आपको वहन करना होगा (अधिक विवरण के लिए खरीद फॉर्म में अभ्यावेदन और उपक्रम देखें)।

### अधिकतम और न्यूनतम सदस्यता (मैक्सिमम & मिनिमम सब्सक्रिप्शन)

अधिकतम सदस्यता (निःशुल्क/मुफ्त बोनस शेयरों को छोड़कर) जिसकी आपको अनुमति है, 2026 के लिए आपके सकल वार्षिक मुआवजे के 25% तक है, जो 20 L'Oréal शेयरों के बराबर सदस्यता मूल्य के अधीन है। सकल वार्षिक मुआवजे का मतलब वार्षिक आधार वेतन + कुल परिवर्तनीय मुआवजा (एनुअल बेस सैलरी+टोटल वेरिएबल कंपनसेशन) जैसा कि आपके पिछले साल समाप्ति मुआवजा के पत्र (इयर एंड कंपनसेशन रिव्यू लेटर) के वेतन अनुबन्ध में उल्लिखित है।

### L'Oréal शेयरों की कस्टडी (अभिरक्षा), मतदान के अधिकार और लाभांश (डिविडेंड्स) (कस्टडी ऑफ़ शेयर्स, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड्स)

आपके L'Oréal शेयरों को एक सामूहिक शेयरधारिता वाहन (collective shareholding vehicle) द्वारा आपकी ओर से सब्सक्राइब और आयोजित किया जाएगा, जिसे फंड्स कम्यून डे प्लेसमेंट डी'एंट्रेप्राइज (Fonds Commun de Placement d'Entreprise) या एफसीपीई (FCPE) के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर फ्रांस में कर्मचारी निवेशकों द्वारा रखे गए शेयरों के संरक्षण के लिए किया जाता है। एफसीपीई (FCPE) आपकी ओर से L'Oréal शेयरों की सदस्यता लेगी/खरीद करेगी। आपको आपके द्वारा सदस्यता लेने वाले L'Oréal शेयरों के बराबर आप एफसीपीई (FCPE) में इकाइयाँ जारी करेंगे। इसी प्रकार लॉक-अप अवधि के अंत में आपको बताए गए शर्तों के अनुसार बोनस शेयरों के लिये इकाइयाँ जारी की जाएगी। एफसीपीई की इकाइयाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी और किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जा सकेंगी। इकाइयाँ केवल यहां दिए गए तरीके से या <https://invest.loreal.com> पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों में भुनाई जा सकती हैं (redeemed)।

जब तक आपके L'Oréal शेयर एफसीपीई (FCPE) «L'ORÉAL EMPLOYEE SHARE PLAN» द्वारा रखे जाते हैं, तब तक ऐसे शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार एफसीपीई (FCPE) के पर्यवेक्षी बोर्ड (supervisory board) द्वारा कर्मचारियों की ओर से प्रयोग किए जाएंगे।

L'Oréal द्वारा भुगतान किए गए कोई भी लाभांश (डिविडेंड्स) स्वचालित रूप से एफसीपीई में पुनर्निवेशित हो जाएगा। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना में भाग लेकर, आप लाभांश (डिविडेंड्स) के ऐसे पुनर्निवेश के लिए सहमत होते हैं। इस तरह के पुनर्निवेश के परिणामस्वरूप अतिरिक्त इकाइयाँ या आंशिक इकाइयाँ जारी की जा सकती हैं। इसलिए, आपको नकद में लाभांश (डिविडेंड्स) प्राप्त नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयाँ बिना किसी छूट के L'Oréal शेयरों के बाजार मूल्य पर जारी की जाएंगी और 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना की शर्तों के अधीन होंगी। लाभांश (डिविडेंड्स) की करदेयता (taxability) के संबंध में यदि आप कर/टैक्स पूरक (भाग बी) पढ़ते हैं तो इससे आपको मदद मिलेगी।

### भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण (करेंसी एक्सचेंज कण्ट्रोल)

ईएसओपी (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना) योजनाओं के तहत, सभी भारतीय निवासी व्यक्ति, चाहे कर्मचारी हों या L'Oréal इंडिया के कार्यकारी निदेशक, बिना किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी प्रतिभूतियां प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना में आपकी भागीदारी को लागू भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) और समय-समय पर इसके तहत जारी किए गए नियम और कानून शामिल हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना<sup>2</sup> (LRS) के तहत आपकी ओर से आपके नियोक्ता द्वारा सदस्यता राशि का प्रेषण USD 250,000 की सीमा के भीतर होना चाहिए या अन्यथा लागू विनिमय नियंत्रण कानूनों और लागू नियमों के अनुसार और उनके अधीन होना चाहिए। आपके नियोक्ता को LRS के तहत आपके अन्य प्रेषणों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है; इसलिए, आप यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि आपकी सदस्यता 250,000

<sup>2</sup> (भारतीय) विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों की उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) एक भारतीय निवासी कर्मचारी को कर वर्ष (अर्थात्, एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक) में 250,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक न होने वाली राशि के लिए एक विदेशी कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति देती है। यह सीमा वह कुल राशि है जिसे एक कर्मचारी एक कर वर्ष (अप्रैल-मार्च) में प्रेषित कर सकता है, जिसमें सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए उसका प्रेषण शामिल है।

अमेरिकी डॉलर की सीमा के भीतर है। आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत जारी नियमों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने के लिए सहमत हैं।

यदि बाद में यह पाया जाता है कि ऐसे प्रेषण ने निर्धारित सीमा, यानी प्रति कर/टैक्स वर्ष USD 250,000 (या अन्यथा) का उल्लंघन किया है, तो आप अतिरिक्त धनराशि वापस भारत लाएंगे और स्वप्रेरणा से (suo motu), कंपाउंडिंग (compounding) के लिए आवेदन करेंगे।

आपका स्थानीय नियोक्ता 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी मामलों को लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार संभालेगा। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना में भाग लेकर, यह माना जाता है कि आपने 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना को लागू करने के लिए अपनी ओर से उपयुक्त प्राधिकारी के पास प्रासंगिक आवेदन करने या इसे दाखिल करने के लिए अपने स्थानीय नियोक्ता को अधिकृत किया है। इसके अलावा, आपको योजना के संबंध में कानूनों और विनियमों या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ को पूरा करने या जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना की शर्तों के अधीन, आप L'Oréal शेयरों को स्थानांतरित (transfer) कर सकते हैं, बशर्ते बिक्री से प्राप्त आय प्राप्ति पर तुरंत प्रत्यावर्तित (repatriated) हो और किसी भी स्थिति में, शेयरों की बिक्री तिथि से 180 दिनों के भीतर हो। 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत आपके द्वारा किए गए सभी प्रेषण भारत में लागू सभी भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानूनों और लागू नियमों के अधीन होंगे।

जब आप अपने निवेश को भुनाते (redeem) हैं, तो आपका नियोक्ता संबंधित सरकारी अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) के पास दावा दायर करेगा और बैंकों द्वारा अनुरोधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा, जिससे आपकी आय के भुगतान में देरी हो सकती है। चूंकि 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना से आपका पूंजीगत लाभ (capital gain) भारतीय रुपये और यूरो के बीच विदेशी विनिमय दर से प्रभावित हो सकता है, इसलिए भुगतान में ऐसी देरी के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण भारतीय रुपये में आपकी आय भौतिक रूप से प्रभावित हो सकती है।

स्रोत पर एकत्रित कर/टैक्स ("टीसीएस/TCS") की प्रयोज्यता (applicability) के लिए कृपया कर/टैक्स पूरक (भाग बी) देखें। यदि LRS के तहत आपके अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी स्थानांतरण (2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत सहित) कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए INR 1,000,000 से अधिक हैं, तो टीसीएस/TCS लागू होगा।

### प्रतिभूति सूचनाएं (सिक्योरिटीज नोटिसस)

यह दस्तावेज़ और प्रस्ताव केवल L'Oréal समूह के उन कर्मचारियों को संबोधित हैं जो 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना में भाग लेने के पात्र हैं। कोई भारतीय प्रतिभूति कानून (Indian securities law) या अन्य फाइलिंग या रिपोर्टिंग आवश्यकताएं 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना पर लागू नहीं होती हैं।

### लॉक-अप अवधि और शीघ्र निकास (Early Exit) की घटनाएं: किन परिस्थितियों में मैं शीघ्र मोचन का अनुरोध कर सकता/सकती हूँ?

2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत, आपका निवेश पांच (5) वर्षों के लिए रखा जाना चाहिए, जो 30 जुलाई, 2031 (सहित) को समाप्त होगा। इसके बावजूद, आप नीचे वर्णित शीघ्र निकास (early exit) घटनाओं के मामले में लॉक-अप अवधि के अंत से पहले योजना से शीघ्र रिलीज और बाहर निकलने का अनुरोध करने में सक्षम हो सकते हैं:

1. विवाह,
2. तलाक या अलगाव की अन्य न्यायिक मान्यता, यदि कम से कम एक बच्चे की कस्टडी बरकरार रखी जाती है,
3. कर्मचारी या जीवनसाथी या बच्चे की विकलांगता जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का प्रयोग करने में स्थायी या अस्थायी (कम से कम छह (6) महीने की) विकलांगता होती है,
4. कर्मचारी के खिलाफ जीवनसाथी या पूर्व जीवनसाथी द्वारा की गई घरेलू हिंसा,
5. कर्मचारी या जीवनसाथी की मृत्यु,

6. किसी भी कारण से रोजगार की समाप्ति, जिसमें इस्तीफा, बर्खास्तगी, या सेवानिवृत्ति शामिल है,
7. कर्मचारी के बच्चों या जीवनसाथी द्वारा किसी विशेष व्यावसायिक उद्यम का निर्माण,
8. प्राथमिक निवास (principal residence) का अधिग्रहण या विस्तार,
9. दिवालियापन (भारतीय कानून के तहत परिभाषित),
10. मुख्य निवास पर ऊर्जा-दक्षता (energy-efficiency) नवीकरण कार्य के लिए, और
11. इलेक्ट्रिक और/या हाइड्रोजन-संचालित वाहन की खरीद के लिए।

ये शीघ्र निकास घटनाएं (दिवालियापन के अलावा) फ्रांसीसी कानून द्वारा परिभाषित हैं और इनकी व्याख्या और अनुप्रयोग फ्रांसीसी कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, वैधानिक नियमों (PF आदि) के तहत नियोक्ता के पास दर्ज कर्मचारी का नामांकित व्यक्ति (nominee), मोचन का अनुरोध करने का हकदार होगा।

आपको यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि शीघ्र निकास घटना उपलब्ध है जब तक कि आपने अपना विशिष्ट मामला (आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान करके) स्पष्ट नहीं किया है और आपके नियोक्ता ने लिखित में यह नहीं दिया है कि यह आपकी स्थिति पर लागू होता है। इस संबंध में, आपके नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

शीघ्र निकास मामलों और मोचन (redemption) प्रक्रियाओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने मानव संसाधन (HR) विभाग से संपर्क करें।

### मोचन (रिडेम्पशन)

5 साल की लॉक-अप अवधि (जुलाई 2031) की समाप्ति पर या ऊपर बताई गई प्रारंभिक निकास घटना के मामले में पहले ही आपका निवेश मोचन के लिए उपलब्ध हो जाता है। लॉक-अप अवधि के अंत में, आपको लॉक-अप अवधि की समाप्ति और आपके निवेश की उपलब्धता और मोचन प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा।

### निःशुल्क बोनस शेयर

आपके निवेश को L'Oréal एस.ए. के अतिरिक्त शेयरों का निःशुल्क अधिकार ("बोनस शेयर") देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना ब्रोशर में वर्णित अनुपात (ratio) के लिए आपकी सदस्यता के अनुपात में आप निःशुल्क बोनस शेयर प्राप्त करने के हकदार होंगे। निःशुल्क शेयर योजना नियमों के नियमों और शर्तों के अधीन, ये शेयर जुलाई 2031 में निहित अवधि (vesting period) के अंत में आपको डिलीवर किए जाएंगे।

नीचे निःशुल्क बोनस शेयरों के अनुदान, निहित होने (vesting) और वितरण पर लागू कुछ शर्तों का सारांश दिया गया है। पूर्ण विवरण के लिए, कृपया <https://invest.loreal.com> (फ्रेंच और अंग्रेजी में) पर उपलब्ध और आपके एचआर संवाददाता से अनुरोध पर निःशुल्क शेयर योजना नियम देखें। कृपया ध्यान दें कि 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना की सदस्यता का अर्थ निःशुल्क शेयर योजना नियमों की स्वीकृति है।

**निःशुल्क बोनस शेयर प्रदान किए जाने के लिए पात्रता:** 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के ढांचे के भीतर निःशुल्क बोनस शेयरों के अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- आपने 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के तहत वैध रूप से सदस्यता ली होनी चाहिए और भागीदारी की सभी शर्तों को पूरा किया होना चाहिए,
- 2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के लिए आपकी भागीदारी, या आपकी सदस्यता/भुगतान अनुदान तिथि (नीचे परिभाषित) को (या उससे पहले) अस्वीकार या रद्द नहीं किया जाना चाहिए,
- सदस्यता का भुगतान वितरण तिथि (नीचे परिभाषित) पर पूरी तरह से निपटाया जाना चाहिए।

**अनुदान तिथि (Grant Date):** अनुदान की तिथि उस तिथि को होगी जब 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत सब्सक्राइब किए गए L'Oréal शेयर जारी किए जाते हैं, अर्थात 30 जुलाई, 2031 को या उसके कुछ समय बाद। अनुदान तिथि के कुछ सप्ताह के भीतर, प्रत्येक लाभार्थी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पत्र या विवरण प्राप्त होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि वह मुफ्त बोनस शेयरों के अनुदान का लाभार्थी है और उसे दिए गए बोनस शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करेगा, जो फ्री शेयर प्लान नियमों की शर्तों (जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है) के अधीन होगा।

**वितरण तिथि (Delivery Date):** नीचे दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन, मुफ्त बोनस शेयर आपको 31 जुलाई, 2031 को या उसके आसपास वितरित किए जाएंगे।

**लॉक-अप अवधि के अंत में मुफ्त बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें** (शर्तों के विस्तृत और संपूर्ण विवरण के लिए आप फ्री शेयर प्लान नियमों के अनुच्छेद 6 का संदर्भ ले सकते हैं; नीचे दिए गए प्रावधान केवल लागू शर्तों का सारांश हैं और फ्री शेयर प्लान नियमों के प्रावधानों का स्थान नहीं लेते हैं):

मुफ्त बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए, आपको 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत सब्सक्रिप्शन अवधि के अंतिम दिन से लेकर वितरण तिथि से 20वें कैलेंडर दिन पहले तक L'Oréal समूह का कर्मचारी या कॉर्पोरेट अधिकारी बने रहना चाहिए ("निरंतर रोजगार शर्त"), जब तक कि निरंतर रोजगार शर्त के अपवादों में से कोई एक लागू न हो (नीचे देखें)।

2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत सब्सक्रिप्शन अवधि के अंतिम दिन और वितरण तिथि से 20वें कैलेंडर दिन पहले के बीच की अवधि को "अधिग्रहण अवधि (Acquisition Period)" कहा जाएगा।

इसके बावजूद, आपको उपरोक्त निरंतर रोजगार शर्त को पूरा किया हुआ माना जाएगा यदि, अधिग्रहण अवधि के दौरान किसी भी समय, आप निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण L'Oréal समूह के कर्मचारी या कॉर्पोरेट अधिकारी का दर्जा खो देते हैं ("निरंतर रोजगार शर्त के अपवाद"):

- क. **मृत्यु:** मृत्यु की स्थिति में, आपके उत्तराधिकारी मृत्यु के छह महीने के भीतर मुफ्त बोनस शेयर वितरण का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे मामले में, दिए गए कोई भी बोनस शेयर उनके अनुरोध को प्रस्तुत करने के कुछ समय बाद असाइनी (हस्तांतरिती) को वितरित किए जाएंगे, और अधिग्रहण अवधि लागू नहीं होगी। इस तरह के अनुरोध के बिना, मृत लाभार्थी को दिए गए मुफ्त बोनस शेयर वितरण तिथि पर उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाएंगे।
- ख. **विकलांगता:** अधिग्रहण अवधि के दौरान, फ्रांसीसी वाणिज्यिक संहिता (French Commercial Code) के अनुच्छेद L. 225-197-1 में परिभाषित विकलांगता की स्थिति में, दिए गए मुफ्त बोनस शेयर संबंधित विकलांगता घटना के घटित होने के कुछ समय बाद वितरित किए जाएंगे।
- ग. **सेवानिवृत्ति:** भारत के प्रासंगिक कानूनों द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवानिवृत्ति आयु पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में या किसी सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति की स्थिति में, मुफ्त बोनस शेयर वितरण तिथि पर लाभार्थी को वितरित किए जाएंगे।
- घ. **घोर कदाचार या गंभीर कदाचार के अलावा किसी अन्य कारण से बर्खास्तगी:** घोर कदाचार या गंभीर कदाचार के अलावा किसी अन्य कारण से बर्खास्तगी की स्थिति में, दिए गए मुफ्त बोनस शेयर वितरण तिथि पर लाभार्थी को वितरित किए जाएंगे। योजना के प्रयोजनों के लिए, घोर या गंभीर कदाचार के लिए बर्खास्तगी, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी को मुफ्त बोनस शेयर प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जाता है, लाभार्थी की बर्खास्तगी पर लागू भारतीय नियमों के अनुसार आकलित की जाएगी।
- ङ. **कर्मचारी और नियोक्ता की आपसी सहमति से रोजगार अनुबंध की समाप्ति:** आपसी सहमति के तहत लाभार्थी के रोजगार अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, मुफ्त बोनस शेयर वितरण तिथि पर लाभार्थी को वितरित किए जाएंगे। किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया इस्तीफा, जिसे नियोक्ता बाद में स्वीकार करता है, को आपसी सहमति के तहत समाप्ति नहीं माना जाएगा।
- च. **आपकी कंपनी/नियोक्ता के नियंत्रण में परिवर्तन:** आपकी कंपनी/नियोक्ता पर नियंत्रण में परिवर्तन की स्थिति में, वे लाभार्थी जो संबंधित कंपनी के कर्मचारी या कॉर्पोरेट अधिकारी हैं, वितरण तिथि पर अपने मुफ्त बोनस शेयर प्राप्त करेंगे।

**मुफ्त बोनस शेयरों का स्वामित्व:** वितरण की तिथि पर, वितरित किए गए कोई भी मुफ्त बोनस शेयर आपकी पूर्ण संपत्ति बन जाएंगे। आपके मुफ्त बोनस शेयर FCPE «L'ORÉAL EMPLOYEE SHARE PLAN» के माध्यम से वितरित और रखे जाएंगे, और आपको उन शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली FCPE की इकाइयाँ प्राप्त होंगी। यदि किसी L'Oréal कंपनी को मुफ्त बोनस शेयरों के अनुदान या वितरण के परिणामस्वरूप मुफ्त बोनस शेयरों के किसी लाभार्थी की ओर से कर/टैक्स, सामाजिक शुल्क या किसी अन्य सरकारी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में, L'Oréal ऐसे व्यक्ति को मुफ्त बोनस शेयरों के हस्तांतरण में तब तक देरी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति उन सभी राशियों का भुगतान नहीं कर देता, या L'Oréal के लिए संतोषजनक भुगतान की व्यवस्था नहीं कर देता, या बोनस शेयरों की बिक्री का कारण बनता है और प्राप्त राशि से संबंधित राशियों को रोक लेता है, जैसा कि फ्री शेयर प्लान नियमों के अनुच्छेद 10 में प्रदान किया गया है।

### श्रम कानून अस्वीकरण (लेबर लॉ डिस्क्लेमर)

कृपया ध्यान दें कि 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान एक फ्रांसीसी कंपनी, L'Oréal S.A. द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि आपके स्थानीय नियोक्ता द्वारा। L'Oréal S.A. अपने विवेक के आधार पर किसी लाभार्थी को इस या किसी भविष्य की पेशकश में शामिल करने का निर्णय लेगी। 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान आपके रोजगार समझौते का हिस्सा नहीं बनता है और ऐसे समझौते में संशोधन या पूरक नहीं है। 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान में भागीदारी आपको समान प्रकृति या मूल्य के भविष्य के लाभ या भुगतान का अधिकार नहीं देती है। यदि आप अपने रोजगार की समाप्ति के कारण 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत अपने अधिकार खो देते हैं तो यह आपको किसी भी मुआवजे का अधिकार नहीं देता है। 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत आपको प्राप्त होने वाले या जिनके लिए आप पात्र हो सकते हैं, उन लाभों या भुगतानों पर विचार भविष्य के किन्हीं लाभों, भुगतानों या अन्य हकदारियों (रोजगार समाप्ति के मामलों सहित) की राशि निर्धारित करने में नहीं किया जाएगा, जो आपको देय हो सकते हैं।

### तिथि में परिवर्तन या रद्दीकरण

कृपया ध्यान दें कि 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान से संबंधित दस्तावेजों में प्रदान की गई तिथियाँ सांकेतिक हैं और L'Oréal S.A. द्वारा बदली जा सकती हैं। L'Oréal S.A. अपने विवेक पर 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान को रद्द करने का विकल्प भी चुन सकती है।

\* \* \*

**ध्यान दें:** यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल और प्रयास किए गए हैं कि स्थानीय अनुपूरक (भारत) (लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया) का हिंदी में अनुवाद सही हो, किसी भी त्रुटि को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस हिंदी अनुवाद और देश के पूरक (लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया) के अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी संघर्ष या अलग व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा; देश के पूरक के अंग्रेजी संस्करण के पढ़ने और व्याख्या के अनुसार किसी भी संघर्ष या मतभेद का समाधान किया जाएगा। किसी भी भ्रम की स्थिति में, स्पष्टीकरण के लिए मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।

## भाग बी

### भारत में कर्मचारियों के लिए कर/टैक्स की जानकारी

#### भारत में निवासी, सामान्यतः निवासी और अधिवासित (Domiciled) कर्मचारियों के लिए कर/टैक्स सारांश

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान में आपकी भागीदारी से उत्पन्न होने वाले आयकर और सामाजिक शुल्कों के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब देना है।

यह सारांश उन सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके उन कर्मचारियों पर लागू होने की उम्मीद है जो (i) भारतीय कर/टैक्स कानूनों और भारत व फ्रांसीसी गणराज्य के बीच 29 सितंबर, 1992 के दोहरे कराधान से बचने के लिए हुए समझौते, जो 01 अगस्त, 1994 से लागू हुआ, यथासंशोधित ("संधि"), के प्रयोजनों के लिए भारत के निवासी हैं, और (ii) संधि के लाभों के हकदार हैं; और जो तब तक भारत के कर/टैक्स निवासी बने रहेंगे जब तक कि L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर ओनरशिप प्लान में इकाइयों/शेयरों से संबंधित उनके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। नीचे सूचीबद्ध कर/टैक्स परिणाम भारतीय और फ्रांसीसी कर/टैक्स कानूनों तथा प्रथाओं, और संधि के अनुसार वर्णित हैं, जो सभी वर्तमान तिथि तक लागू हैं।

कृपया ध्यान दें कि यह कंट्री सप्लीमेंट 1 अप्रैल, 2026 तक लागू कानूनों पर आधारित है। ये कानून, प्रथाएं और संधि समय के साथ परिवर्तन के अधीन हैं और आपकी कर/टैक्स स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक विशिष्ट और निश्चित व्यक्तिगत सलाह के लिए और व्यक्तिगत कर/टैक्स कानून में किसी भी संभावित परिवर्तन का ध्यान रखने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने कर/टैक्स सलाहकारों से परामर्श लें।

यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूर्ण या निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। आपकी रोजगार प्रदाता कंपनी ("नियोक्ता") इसकी सटीकता के लिए जिम्मेदारी नहीं लेती है।

यह कर/टैक्स नोट/टैक्स नोट आपको वितरित किया गया है और समर्पित वेबसाइट <https://invest.loreal.com> पर उपलब्ध कराई गई अन्य सामग्रियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि नीचे वर्णित टीसीएस/TCS (स्रोत पर एकत्रित कर/टैक्स) प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्होंने कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के दौरान भारत से बाहर 1,000,000 रुपये से अधिक की राशि भेजी (रेमिटेंस) है।

### सब्सक्रिप्शन पर (अपॉन सब्सक्रिप्शन)

**I. क्या मुझे सब्सक्रिप्शन के समय किसी कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क (सोशल सिक्योरिटीज चार्जेज) का भुगतान करना होगा?**

#### ए. फ्रांस में कराधान

एफसीपीई (FCPE) "L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना" (FCPE «L'ORÉAL EMPLOYEE SHARE PLAN») के माध्यम से धारित L'Oréal शेयरों के सब्सक्रिप्शन पर आपको फ्रांस में कराधान के अधीन नहीं किया जाएगा। FCPE द्वारा प्राप्त लाभांश (डिविडेंड्स) पर फ्रांस में कोई कर/टैक्स नहीं लगाया जाएगा। निवेश पर प्राप्त कोई भी लाभ फ्रांस में कराधान या सामाजिक शुल्क के अधीन नहीं है।

#### बी. भारत में कराधान

**I(1) सब्सक्रिप्शन के समय L'Oréal शेयर के बाजार मूल्य और सब्सक्रिप्शन मूल्य के बीच के अंतर पर कराधान**

#### कर्मचारी के हाथ में:

सब्सक्रिप्शन के समय उपलब्ध शेयर मूल्य में छूट आपके हाथ में एक अनुलाभ (परकिसीट्स/perquisite) के रूप में कराधान के अधीन होगी। इसलिए, कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए, आवंटन के समय, आप L'Oréal शेयरों के उचित बाजार मूल्य (जो एक मर्चेन्ट बैंकर द्वारा निर्धारित किया जाएगा) और भुगतान किए गए सब्सक्रिप्शन मूल्य के बीच के अंतर की राशि पर कर/टैक्स

का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार, ऐसी राशि को "अनुलाभ" (परकिसीट्स/perquisite) आय के रूप में माना जाएगा और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1) के तहत आपके हाथ में कर/टैक्स योग्य होगी।

अनुलाभ का मूल्यांकन निम्नलिखित के बीच के अंतर पर किया जाता है:

- (i) **जारी करने/आवंटन की तिथि पर L'Oréal शेयरों का "उचित बाजार मूल्य" (सेबी (SEBI) के साथ पंजीकृत "श्रेणी I मर्चेट बैंकर" द्वारा निर्धारित), और**
- (ii) **आपके द्वारा भुगतान की गई सब्सक्रिप्शन राशि।**

परिणामस्वरूप, शेयरों के जारी करने/आवंटन की तिथि पर L'Oréal शेयरों के "उचित बाजार मूल्य" ("एफएमवी/FMV") को निर्धारित करने के लिए श्रेणी I मर्चेट बैंकर द्वारा जारी एक शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और आपके द्वारा भुगतान किए गए सब्सक्रिप्शन मूल्य और ऐसे एफएमवी/FMV के बीच के अंतर को लागू कर/टैक्स दर पर कर/टैक्स योग्य अनुलाभ आय के रूप में माना जाएगा। एफएमवी/FMV का निर्धारण करते समय, मर्चेट बैंकर निर्दिष्ट तिथि (यानी, जारी करने/आवंटन की तिथि या ऐसी तिथि से एक सौ अस्सी (180) दिन पहले के भीतर की कोई तिथि) पर यूरोनेक्स्ट पेरिस (Euronext Paris) एक्सचेंज में L'Oréal शेयरों के सूचीबद्ध मूल्य को विचारणीय कारकों में से एक के रूप में मानेंगे। आपका नियोक्ता ऐसा शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

फलस्वरूप, एक श्रेणी I मर्चेट बैंकर द्वारा जारी किए गए एक शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र को "उचित बाजार मूल्य" (एफएमवी) निर्धारित करने की आवश्यकता होगी और आपके द्वारा भुगतान किए गए सदस्यता मूल्य और इस तरह के "उचित बाजार मूल्य" के बीच के अंतर को लागू कर/टैक्स दर पर कर/टैक्स लगाए गए परकिसीट्स आय के रूप में माना जाएगा। उचित बाजार मूल्य ("एफएमवी/FMV") का निर्धारण करते समय, मर्चेट बैंकर निर्दिष्ट तिथि (यानी, सदस्यता की तारीख या तारीख के 180 दिनों के भीतर किसी भी तारीख) पर यूरोनेक्स्ट पेरिस स्टॉक एक्सचेंज पर L'Oréal शेयरों की सूचीबद्ध कीमत पर विचार करेगा। आपका नियोक्ता ऐसा शेयर मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

चूंकि L'Oréal शेयरों को 20% की छूट पर पेश किया जाता है, इसलिए L'Oréal शेयरों के एफएमवी/FMV पर छूट को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17 के तहत एक अनुलाभ माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, यह आपके पारिश्रमिक का हिस्सा बनेगा और "वेतन (Salaries)" शीर्ष के तहत आय के रूप में आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा। तदनुसार, कर/टैक्स का वहन आवंटन के समय किया जाएगा। तदनुसार, कर/टैक्स का वहन आवंटन के समय किया जाएगा। कर/टैक्स की दर आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी और आप पर लागू स्लैब के अनुसार कर/टैक्स लगाया जाएगा (लागू कर/टैक्स दरों के लिए, कृपया "मोचन पर (Upon Redemption)" अनुभाग के अंतर्गत दी गई तालिका देखें)।

उदाहरण:	
1 L'Oréal शेयर का उचित बाजार मूल्य	100.00 रुपये
आपके द्वारा @ 20% छूट पर भुगतान किया गया सब्सक्रिप्शन मूल्य	80.00 रुपये
छूट	20.00 रुपये
20 रुपये की छूट को "अनुलाभ" आय माना जाएगा और आपके कर/टैक्स योग्य वेतन में जोड़ा जाएगा।	

आपके नियोक्ता को L'Oréal शेयरों की खरीद के समय कोई कर/टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, आपका नियोक्ता आपसे लागू स्लैब दरों (और लागू कर/टैक्स व्यवस्था) के अनुसार कर/टैक्स काटेगा और ऐसे रोके गए करों को कर/टैक्स अधिकारियों को प्रेषित करेगा। इसके अलावा, जहाँ भी लागू हो, आपके नियोक्ता को उदारीकृत प्रेषण योजना<sup>3</sup> ("LRS") के तहत किए गए प्रेषण

<sup>3</sup> LRS योजना के तहत, एक निवासी व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कर/टैक्स वर्ष के लिए RBI की पूर्व अनुमति के बिना भारत के बाहर 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की धनराशि भेज सकता है। यह योजना केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

(रेमिटेंस) पर आपसे स्रोत पर एकत्रित कर/टैक्स ("टीसीएस/TCS") एकत्र करने और कर/टैक्स को कर/टैक्स अधिकारियों के पास जमा करने की आवश्यकता हो सकती है<sup>4</sup>।

कृपया ध्यान दें कि LRS पर टीसीएस/TCS प्रति व्यक्ति प्रति कर/टैक्स वर्ष 1,000,000 रुपये (एक मिलियन) से अधिक के LRS के तहत सभी बाहर भेजे जाने वाले प्रेषणों पर लागू होता है (नीचे फुटनोट 4 देखें)। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, 1,000,000 रुपये (एक मिलियन) से अधिक के प्रेषण के हिस्से पर लागू टीसीएस/TCS दर 20% है। यदि कर/टैक्स वर्ष 2026-27 में LRS के तहत आपके कुल प्रेषण (2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत प्रेषण के साथ) 1,000,000 रुपये (एक मिलियन) से अधिक नहीं हैं, तो आप पर टीसीएस/TCS नहीं लगेगा। हालांकि, यदि आपके प्रेषण 1,000,000 रुपये (एक मिलियन) से अधिक हैं और टीसीएस/TCS लागू होता है, तो टीसीएस/TCS आपके नियोक्ता द्वारा आपके मई 2026 के पेरोल से (एक ही किस्त में) एकत्र/वसूला जाएगा और कर/टैक्स अधिकारियों (अधिकृत डीलर/बैंकर (AD) के माध्यम से) के पास जमा किया जाएगा, जो आपके फॉर्म 168 (पूर्व में फॉर्म 26AS) में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगा।

एकत्र किए गए टीसीएस/TCS को आपकी वास्तविक समग्र कर/टैक्स देयता पर लागू किया जा सकता है, जो वर्ष के अंत में देय होता है<sup>5</sup>। यदि आपकी ऐसी कोई कर/टैक्स देयता नहीं है, तो आप वर्ष के अंत में रिफंड का दावा कर सकते हैं। कृपया अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें। नियोक्ता इन करों का वहन नहीं करेगा।

यदि आप 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान में भाग लेते हैं, तो आपको कर/टैक्स वर्ष 2026-27 (सब्सक्रिप्शन की तिथि/ऐसी घोषणा तक) के दौरान किए गए अपने प्रेषणों के संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप घोषणा प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो टीसीएस/TCS (लागू मामलों में) AD बैंकरों की सलाह के अनुसार एकत्र किया जाएगा, और यह माना जाएगा कि आप बिना शर्त घोषणा की सामग्री को स्वीकार करते हैं। टीसीएस/TCS के दायरे, आवेदन और वसूली पर अतिरिक्त नियामक मार्गदर्शन प्रतीक्षित है और ऊपर वर्णित इसके अनुप्रयोग को प्रभावित कर सकता है।

FCPE के माध्यम से सब्सक्राइब करते समय, आपको किसी भी सामाजिक कर/टैक्स परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यदि आपका नियोक्ता 200,000 रुपये से अधिक के सब्सक्रिप्शन मूल्य का वित्तपोषण करता है, तो अनुमानित ब्याज (notional interest) को एक अनुलाभ माना जाएगा और यह आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा। इसलिए, ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण से उत्पन्न अनुलाभ का मूल्य कर/टैक्स योग्य होगा, और आपके नियोक्ता को उस पर लागू दर से कर/टैक्स काटने की आवश्यकता होगी।

### नियोक्ता के हाथ में:

नियोक्ता पर कर/टैक्स भुगतान की कोई देयता नहीं होगी।

## I(2) क्या ब्याज-मुक्त ऋण कर/टैक्स योग्य होगा?

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(d), जिसे आयकर नियम, 2026 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, के तहत एक अनुलाभ में मुफ्त या रियायती दर पर दी गई या प्रदान की गई किसी भी सुविधा या एमिनिटी (amenity) का मूल्य शामिल है। आयकर नियमों के तहत, एक ब्याज-मुक्त ऋण या रियायती दर पर प्रदान किया गया ऋण एक अनुलाभ के रूप में योग्य होता है। इसलिए, नियोक्ता द्वारा आपको दी गई सुविधा, रियायत या एमिनिटी (यदि आप ऐसा विकल्प चुनते हैं) एक अनुलाभ का रूप ले लेगी और आपके हाथ में कर/टैक्स योग्य होगी।

<sup>4</sup> 1 अप्रैल, 2026 से, LRS के तहत बाहर भेजे जाने वाले विदेशी प्रेषण (शिक्षा या विकित्सा उपचार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए) के लिए स्रोत पर कर/टैक्स संग्रह (TCS) 20% (1,000,000 रुपये की सीमा से अधिक पर) है। नियोक्ताओं को कार्यान्वयन और वसूली तंत्र पर बैंक से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।

<sup>5</sup> आयकर अधिनियम के तहत, वेतन आय पर टीडीएस (TDS) की कटौती से संबंधित प्रावधानों को अब संशोधित किया गया है ताकि कर्मचारियों की वेतन आय से काटे जाने वाले कर/टैक्स की राशि की गणना करते समय कर्मचारियों को उपलब्ध किसी भी टीडीएस (TDS) या टीसीएस (टीसीएस/TCS) क्रेडिट को शामिल किया जा सके।

## अनुलाभ का मूल्यांकन (ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में)

चूंकि नियोक्ता द्वारा वित्तपोषण ब्याज-मुक्त होगा, इसलिए भारतीय कर/टैक्स कानून में ऋण राशि पर ब्याज की अनुमानित दर का शुल्क आवश्यक है, जिसे आपको दिए गए अनुलाभ के रूप में माना जाएगा और यह कर/टैक्स के अधीन होगा। हालांकि, यदि कुल मिलाकर ऋण राशि 200,000 रुपये से कम है, तो कोई अनुलाभ राशि नहीं ली जाएगी।

आयकर नियम, 2026 के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए ब्याज-मुक्त या रियायती ऋण (200,000 रुपये से अधिक) के परिणामस्वरूप कर्मचारी को होने वाले लाभ का मूल्य उस राशि के बराबर निर्धारित किया जाएगा जो प्रासंगिक कर/टैक्स वर्ष के पहले दिन<sup>6</sup> को भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) द्वारा उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में प्रति वर्ष ली जाने वाली ब्याज दर पर अधिकतम बकाया मासिक शेष पर गणना की जाती है, जिसे वास्तव में 200,000 रुपये से ऊपर की राशि के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी ब्याज, यदि कोई हो, से घटाया जाता है।

इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली दर 15%<sup>7</sup> प्रति वर्ष है (जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है)। चूंकि कर्मचारी के हाथ में अनुलाभ का मूल्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और नियोक्ता द्वारा पेश की जाने वाली दर (वर्तमान मामले में, चूंकि नियोक्ता ब्याज नहीं लेगा) के बीच का अंतर होगा, इसलिए अनुलाभ का मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पर 15% होगा। चूंकि ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण के कारण अनुलाभ का मूल्य आपके हाथ में कर/टैक्स योग्य होगा, इसलिए नियोक्ता को उचित दर पर कर/टैक्स काटना आवश्यक होगा।

यदि आपने अपने नियोक्ता से वित्तपोषण प्राप्त किया है तो आपको कोई सामाजिक सुरक्षा कर/टैक्स परिणाम भुगतान नहीं पड़ेगा।

### उदाहरण:

1. समीर L'Oréal के शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए 1 अगस्त, 2026 को अपने नियोक्ता से 1,80,000 रुपये का ऋण लेता है। यहाँ, कोई भी राशि कर/टैक्स योग्य नहीं है क्योंकि ऋण राशि 20,000 रुपये से कम है (बशर्ते यह ऋण (या समीर द्वारा लिए गए अन्य बकाया ब्याज-मुक्त ऋण) कुल मिलाकर, 2,00,000 रुपये से अधिक न हो)।
2. समीर L'Oréal के शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए 1 अगस्त, 2026 को अपने नियोक्ता से 3,00,000 रुपये का ऋण लेता है। यह ऋण 10 महीनों में पेट्रोल कटौती के माध्यम से चुकाया जाना है। परिलब्धि (परकिसीट्स/perquisite) कर/टैक्स योग्य है क्योंकि ऋण राशि 2,00,000 रुपये से अधिक है।

**परिलब्धि/परकिसीट्स की गणना:** कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए परिलब्धि/परकिसीट्स मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है:

01 अगस्त, 2026 को, समीर को 3,00,000 रुपये का ब्याज-मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्राप्त हुआ, जो उसके नियोक्ता को दस (10) किशतों में चुकाने योग्य है। पुनर्भुगतान प्रत्येक महीने के अंतिम दिन पेट्रोल कटौती द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली ऋण किशत 31 अगस्त, 2026 को देय होती है। 01-अप्रैल-2026 तक SBI की ब्याज दर 15% प्रति वर्ष मानी जाती है।

समीर को ब्याज-मुक्त/रियायती ऋण - परिलब्धि का मूल्यांकन कर/टैक्स वर्ष 2026-27 / 2027-28	
01.04.2026 तक लागू SBI ब्याज	15% <sup>8</sup>
नियोक्ता द्वारा लिया गया वास्तविक ब्याज	0
01.08.2026 को बकाया ऋण (₹.)	300,000
मासिक पुनर्भुगतान किशत (₹.)	30,000

<sup>6</sup> 1 अप्रैल 2026 / 1 अप्रैल 2027

<sup>7</sup> अनंतिम (प्रोविजनल) दर। ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है। दर की नियोक्ता द्वारा फिर से पुष्टि की जानी चाहिए।

<sup>8</sup> 1 अप्रैल 2026 तक (व्यक्तिगत ऋण के लिए) SBI की ब्याज दर (अनंतिम)। नियोक्ता द्वारा बैंक के साथ इसकी फिर से पुष्टि की जानी चाहिए। नियोक्ता को 2027-28 कर/टैक्स वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2027 तक SBI की ब्याज दर की भी पुष्टि करनी चाहिए।

महीना	महीने के अंतिम दिन अधिकतम बकाया राशि (रु.)	परिलब्धि/परकिसीट्स मूल्य <sup>9</sup> (SBI दर के अनुसार ब्याज) (रु.)
अगस्त-26	2,70,000	3,375
सितं-26	2,40,000	3,000
अक्टू-26	2,10,000	2,625
नव-26	1,80,000	2,250
दिसं-26	1,50,000	1,875
जन-27	1,20,000	1,500
फर-27	90,000	1,125
मार्च-27	60,000	750
अप्रै-27	30,000	375
मई-27	-	-
<b>कुल ब्याज (रु.)</b>		<b>16,875</b>
<b>घटाएं: वसूल किया गया (रु.)</b>		<b>0</b>
<b>परिलब्धि का मूल्यांकन (रु.)</b>		<b>16,875</b>

31 मार्च, 2027 तक, कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए समीर की आय में परिलब्धि/परकिसीट्स मूल्य जोड़ा जाएगा और कर/टैक्स उद्देश्यों के लिए कर/टैक्स लगाया जाएगा। अप्रैल 2027 से मई 2027 तक, समीर संबंधित कर/टैक्स वर्ष में कराधान के अधीन होगा।

### योजना की अवधि के दौरान (दुरिंग लाइफ ऑफ़ प्लान)

## II. क्या मुझे लाभांश (डिविडेंड्स) पर किसी कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा प्रभार का भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

### (i) फ्रांस में कराधान

L'Oréal द्वारा कर्मचारियों को नकद में लाभांश (डिविडेंड्स) के वितरण के अभाव में फ्रांस में कोई विदहोलिंग कर/टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

### (ii) भारत में कराधान

हाँ। L'Oréal द्वारा घोषित या वितरित कोई भी लाभांश (डिविडेंड्स) (पुनर्निवेश सहित) आपके हाथों में "अन्य स्रोतों से आय"<sup>10</sup> मद के तहत कर/टैक्स योग्य होगा। किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश (डिविडेंड्स) आयकर अधिनियम, 2025 के तहत छूट प्राप्त नहीं है।

<sup>9</sup> परिलब्धि मूल्य = अधिकतम बकाया मासिक शेष (समापन शेष) x 15% / 12.

<sup>10</sup> भारतीय कर/टैक्स कानूनों के तहत, यह माना जाएगा कि वितरण पर एक कर्मचारी को लाभांश (डिविडेंड्स) प्राप्त हुआ है।

लाभांश (डिविडेंड्स) को FCPE में पुनर्निवेशित/पूँजीकृत किया जाएगा। पुनर्निवेश के बावजूद, लाभांश (डिविडेंड्स) उस वर्ष के लिए आपकी आय में जोड़ा जाएगा जिस वर्ष ऐसा लाभांश (डिविडेंड्स) घोषित (और पुनर्निवेशित) किया जाता है। ऐसे पुनर्निवेश के परिणामस्वरूप अतिरिक्त यूनिट या यूनिट के अंश जारी किए जाएंगे। हालाँकि, यह आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा क्योंकि आपको उनके वितरण पर लाभांश (डिविडेंड्स) प्राप्त हुआ माना जाएगा। FCPE «L'ORÉAL EMPLOYEE SHARE PLAN» लाभांश (डिविडेंड्स) का उपयोग (स्टॉक एक्सचेंज पर) नए L'Oréal शेयर खरीदने के लिए करेगा (एक तरह से, ये शेयर लाभांश (डिविडेंड्स) का प्रतिनिधित्व करेंगे)। इस प्रकार पुनर्निवेशित राशि पुनर्निवेशित यूनिटों के अधिग्रहण की लागत बन जाएगी, और भविष्य में जब भी यूनिट बेची जाएंगी, इसे बिक्री प्रतिफल से काट लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पुनर्निवेशित यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आय में से, मूल रूप से निवेश किए गए लाभांश (डिविडेंड्स) की राशि को अधिग्रहण की लागत माना जाएगा, और अंतर पर पूँजीगत लाभ के रूप में कर/टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए, कोई दोहरा कराधान नहीं होगा। लाभांश (डिविडेंड्स) के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है जिस पर कोई कर/टैक्स देय न हो।

### (ए) कर/टैक्स की प्रकृति (उदा. आय, पूँजीगत लाभ, आदि)

आप "अन्य स्रोतों से आय" मद के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

### (बी) वह विधि जिसके द्वारा कर/टैक्स योग्य राशि की गणना की जानी है?

चूंकि कर/टैक्स का भार लाभांश (डिविडेंड्स) वितरण पर है, L'Oréal द्वारा घोषित या वितरित कोई भी लाभांश (डिविडेंड्स) आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा। यह आय आपकी अन्य आय में जोड़ दी जाएगी, और लाभांश (डिविडेंड्स) सहित कुल आय पर तदनुसार कर/टैक्स लगाया जाएगा। लाभांश (डिविडेंड्स) पर कर/टैक्स चुकाने का दायित्व आप पर है, और आपका नियोक्ता कर/टैक्स रोकने या उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, आपको यूनिटों/शेयरों से अर्जित लाभांश (डिविडेंड्स) की रिपोर्ट करनी होगी। उपयुक्त ITR फॉर्म (ITR-2) का उपयोग करके टैक्स रिटर्न पर ऐसी रिपोर्टिंग (मूल्य की परवाह किए बिना) आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया "रिपोर्टिंग दायित्व" अनुभाग देखें।

चूंकि लाभांश (डिविडेंड्स) € (यूरो) में घोषित (और पुनर्निवेशित) किया जाता है, इसलिए आपको जिस महीने में लाभांश (डिविडेंड्स) घोषित, वितरित या भुगतान किया जाता है, उसके पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन INR के लिए € की SBI TT खरीद दर से € में लाभांश (डिविडेंड्स) राशि को गुणा करके लाभांश (डिविडेंड्स) के मूल्य को INR में बदलना होगा।

### (सी) कराधान की दर (रेट ऑफ़ टैक्सेशन)

कर/टैक्स की दर लाभांश (डिविडेंड्स) आय सहित आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी। इस पर 30% तक की प्रगतिशील स्लैब-वार दरों (लागू कर/टैक्स व्यवस्था के अनुसार), साथ ही लागू अधिभार (सरचार्ज) और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (सेस) पर कर/टैक्स लगाया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि व्यक्तियों के लिए लाभांश (डिविडेंड्स) आय पर अधिकतम अधिभार 15% पर सीमित है (यह सीमा विशेष रूप से नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत लागू होती है)। कृपया नीचे दी गई तालिका देखेंकर दरों के लिए "मोचन (Redemption) पर" अनुभाग। उदाहरण के लिए, यदि आप 30% कर/टैक्स स्लैब में आते हैं, तो ऐसे लाभांश (डिविडेंड्स) पर भी 30% की दर से कर/टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर, जैसा भी उपयुक्त हो।

## संपत्ति कर/टैक्स (वैल्यू टैक्स)

### III. क्या मुझे अपनी यूनिटों पर कोई संपत्ति कर/टैक्स देना होगा?

नहीं। शेयर और प्रतिभूतियां जैसी संपत्तियां, जिन्हें 'उत्पादक संपत्ति' कहा जाता है, भारत में संपत्ति कर/टैक्स से मुक्त हैं।

## मोचन पर (अपॉन रिडेम्पशन)

**IV. क्या मुझे किसी कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा प्रभार का भुगतान करना होगा जब, लॉक-अप अवधि के अंत में (या अधिकृत शीघ्र निकास घटना की स्थिति में), मैं FCPE को नकद के लिए मेरी यूनिटों को भुनाने के लिए कहता हूँ?**

**i) फ्रांस में कराधान**

जब आप अपनी यूनिटों को भुनाते हैं तो प्राप्त लाभ पर आप फ्रांस में आयकर के अधीन नहीं होंगे।

**ii) भारत में कराधान**

मोचन पर आपको होने वाले किसी भी लाभ या हानि को पूंजीगत लाभ या हानि माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत लाभ कर/टैक्स केवल शेयरों के मोचन/बिक्री के समय होने वाले लाभ या मुनाफे पर ही लगेगा।

### (ए) कर/टैक्स की प्रकृति (उदा. आय, पूंजीगत लाभ या कर/टैक्स का अन्य रूप)

शेयरों के मोचन/बिक्री पर आपको होने वाला कोई भी लाभ या हानि पूंजीगत लाभ या हानि माना जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, पूंजीगत संपत्ति (यहाँ यूनिटों का मोचन या बिक्री) को स्थानांतरित करने से होने वाले किसी भी लाभ या मुनाफे पर "पूंजीगत लाभ" मद के तहत आयकर लगाया जाता है। तदनुसार, आप शेयरों को बेचने पर प्राप्त होने वाले किसी भी पूंजीगत लाभ (या हानि) की घोषणा करने और ऐसे लाभों के कारण देय लागू करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। शेयरों के मोचन/बिक्री के समय आपके नियोक्ता का कोई विदहोल्लिंग कर/टैक्स दायित्व नहीं होगा।

### (बी) वह विधि जिसके द्वारा कर/टैक्स योग्य राशि की गणना की जानी है

पूंजीगत लाभ की गणना मोचन/बिक्री/हस्तांतरण पर बिक्री प्रतिफल और सब्सक्रिप्शन के समय L'Oréal शेयरों के एफएमवी/FMV (उचित बाजार मूल्य) के बीच के अंतर और शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में पूरी तरह और विशेष रूप से किए गए किसी भी व्यय के रूप में की जाती है। इस प्रकार, यदि बिक्री मूल्य आवंटन के समय एफएमवी/FMV से अधिक है, तो इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ होता है; यदि बिक्री मूल्य आवंटन के समय एफएमवी/FMV से कम है, तो इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत हानि होती है। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत लाभ कर/टैक्स केवल शेयरों को भुनाने/बेचे जाने पर होने वाले लाभ या मुनाफे पर लगेगा (सब्सक्रिप्शन के वर्ष में फॉर्म 123 (पूर्व में फॉर्म 12BA) में उल्लिखित परिलब्धि की राशि के साथ वसूल की गई वास्तविक राशि)। इसलिए, पूंजीगत लाभ की गणना आवंटन के समय शेयरों के एफएमवी/FMV (20% छूट की परवाह किए बिना) का उपयोग अधिग्रहण की लागत के रूप में करके की जाएगी।

चूंकि मोचन € में होगा, इसलिए आपको उस महीने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन INR के लिए € की SBI TT खरीद दर से € में मोचन राशि को गुणा करके मोचन मूल्य को INR में बदलना होगा जिसमें मोचन होता है।

उदाहरण: यदि आप शेयरों के मोचन के समय भारत में कर/टैक्स निवासी हैं, तो पूंजीगत लाभ की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

	राशि
सभी यूनिटों/शेयरों के मोचन/हस्तांतरण से बिक्री प्रतिफल	<b>X</b>
सब्सक्राइब किए गए L'Oréal शेयरों के अधिग्रहण की लागत, अर्थात्, आवंटन के समय L'Oréal शेयरों का उचित बाजार मूल्य	<b>Y</b>
लाभांश (डिविडेंड्स) का पुनर्निवेशित मूल्य	<b>Y1</b>

जुलाई 2031 में निहित (vesting) होने पर मुफ्त बोनस L'Oréal यूनिटों/शेयरों का उचित बाजार मूल्य (यदि निहित/आवंटित हो)	<b>Y2</b>
<b>पूँजीगत लाभ (Z) =</b>	<b>X – (Y+Y1+Y2)</b>

क्योंकि कि L'Oréal के शेयर भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए उनका कर/टैक्स उपचार असूचीबद्ध शेयरों के समान होगा। पूँजीगत लाभ की प्रकृति, अर्थात्, **अल्पकालिक** (short-term) या **दीर्घकालिक** (long-term), यूनिटों/शेयरों की होल्डिंग अवधि पर निर्भर करती है। यदि यूनिट/शेयर **चौबीस (24) महीने से अधिक** की अवधि के लिए रखे जाते हैं, तो पूँजीगत लाभ को दीर्घकालिक माना जाएगा; अन्यथा (अर्थात्, **चौबीस (24) महीने से कम समय के लिए रखे गए**), पूँजीगत लाभ को अल्पकालिक माना जाएगा और तदनुसार कर/टैक्स लगाया जाएगा। होल्डिंग अवधि की गणना शेयरों के आवंटन की तारीख से बिक्री की तारीख तक की जाती है।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर अलग-अलग कर/टैक्स लगाया जाता है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर देय कर/टैक्स की दर के बारे में अधिक विवरण नीचे दिए गए अनुभाग में दिए गए हैं।

### **उदाहरण:**

1. समीर L'Oréal इंडिया का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अगस्त 2026 में, उसने 2026 L'Oréal एमप्लॉयी शेयर प्लान के तहत L'Oréal शेयरों को सब्सक्राइब किया। समीर ने लॉक-अप अवधि के अंत में जुलाई 2031 में अपने सभी शेयर भुनाकर/बेच दिए। इसलिए, चूंकि L'Oréal शेयरों की होल्डिंग अवधि 24 महीने से अधिक है, इसलिए शेयरों को दीर्घकालिक पूँजीगत संपत्ति माना जाएगा, और कोई भी पूँजीगत लाभ, यदि कोई हो, पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के रूप में कर/टैक्स लगाया जाएगा।
2. समीर L'Oréal इंडिया का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अगस्त 2026 में, उसने L'Oréal के शेयरों के लिए सब्सक्राइब किया। एक प्रारंभिक निकास (early exit) घटना के कारण, समीर ने फरवरी 2028 में अपने शेयर बेच दिए, अर्थात् उन्हें 24 महीने से कम समय तक रखने के बाद। इसलिए, L'Oréal शेयरों को अल्पकालिक पूँजीगत संपत्ति माना जाएगा, और किसी भी पूँजीगत लाभ पर अल्पकालिक पूँजीगत लाभ के रूप में कर/टैक्स लगाया जाएगा।

### **(सी) कराधान की दर और क्या कोई सामाजिक प्रभार या अन्य प्रभार लागू हैं**

दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर अलग-अलग कर/टैक्स लगाया जाता है।

- **दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ:** दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के लिए वर्तमान लागू कर/टैक्स दर 12.5% (इंडेक्सेशन लाभ के बिना) है, साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर है।
- **अल्पकालिक पूँजीगत लाभ:** अल्पकालिक पूँजीगत लाभ कर्मचारी की आय में शामिल किए जाते हैं और नीचे निर्दिष्ट स्लेब-वार आयकर दरों के अनुसार कर/टैक्स लगाया जाता है:

**आइए इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लें:**

#### **A. दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ**

समीर ने अगस्त 2026 में L'Oréal यूनिटों/शेयरों को सब्सक्राइब किया, उस समय शेयरों का एफएमवी/FMV 1,40,000 रुपये था (जो उनके स्वयं के योगदान के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए L'Oréal शेयरों के एफएमवी/FMV का प्रतिनिधित्व करता है)। उसने जुलाई 2028 में लाभांश (डिविडेंड्स) का पुनर्निवेश करके 10,000 रुपये के शेयर प्राप्त किए। समीर ने जुलाई 2031 में सभी यूनिटों/शेयरों को 3,30,000 रुपये में भुनाया/बेचा। चूंकि L'Oréal शेयर एक असूचीबद्ध (भारतीय) कंपनी से संबंधित हैं, इसलिए परिणामी लाभ दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ (LTCG) के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, जो 12.5% पर कर/टैक्स योग्य है।

**पूंजीगत लाभ की गणना:**

- खरीद मूल्य (अगस्त 2026) = **1,40,000 रुपये**

- खरीद मूल्य/लाभांश (डिविडेंड्स) का पुनर्निवेशित मूल्य (जुलाई 2028) = **10,000 रुपये**

- यूनिटों/शेयरों का बिक्री मूल्य (जुलाई 2031) = **3,30,000 रुपये**

समीर द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ **1,80,000 रुपये** होगा, जो निम्नलिखित गणना के अनुसार है:

**बिक्री मूल्य – (अधिग्रहण की लागत के रूप में आवंटन पर शेयरों का एफएमवी/FMV + अधिग्रहण की लागत के रूप में पुनर्निवेशित लाभांश (डिविडेंड्स) का मूल्य) = 3,30,000 – (1,40,000 + 10,000) = 1,80,000 रुपये।**

**इसलिए, 12.5% पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर/टैक्स 1,80,000 रुपये x 12.5% = 22,500 रुपये होगा, साथ ही लागू अधिभार, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।**

**B. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ**

समीर L'Oréal इंडिया का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अगस्त 2026 में, उसने L'Oréal शेयरों को सब्सक्राइब किया। एक प्रारंभिक निकास घटना के कारण, समीर ने फरवरी 2028 में शेयर बेच दिए, अर्थात्, 24 महीने से कम समय तक रखने के बाद। इसलिए, L'Oréal शेयरों को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, और किसी भी पूंजीगत लाभ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर/टैक्स लगाया जाएगा।

इस मामले में, शेयरों की बिक्री से होने वाली आय को समीर की नियमित आय में जोड़ा जाएगा और लागू स्लैब दरों के साथ-साथ अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर, जैसा भी उपयुक्त हो, के अनुसार कर/टैक्स लगाया जाएगा।

**(डी) आयकर स्लैब दरें**

आयकर अधिनियम, 2025 के तहत सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर आयकर लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय न्यूनतम सीमा (मूल छूट सीमा) से अधिक है, तो कर/टैक्स का आकलन स्लैब प्रणाली के तहत किया जाता है।

**कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और दरें**

(60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति)

कर/टैक्स वर्ष 2020-21 से प्रभावी, सरकार ने कर/टैक्स लगाने की एक वैकल्पिक विधि की घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को पुरानी और नई रियायती कर/टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन करने की अनुमति मिली। पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था ने करदाताओं को मौजूदा कर/टैक्स छूट, जैसे कि मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, और आयकर अधिनियम<sup>11</sup> की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती का दावा करना जारी रखने की अनुमति दी। जबकि नई कर/टैक्स व्यवस्था को चुनने वाले कम दरों पर कर/टैक्स का भुगतान करेंगे, उन्हें आयकर अधिनियम<sup>12</sup> के तहत अधिकांश कर/टैक्स छूट और कटौती को छोड़ना होगा। कानून का प्रस्ताव है कि नई कर/टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट है, जिसमें करदाताओं (assesseees) के पास पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प है। नई कर/टैक्स व्यवस्था अधिक कर/टैक्स स्लैब पेश करती है और कर/टैक्स छूट सीमा बढ़ाती है। कर/टैक्स

<sup>11</sup> वैकल्पिक पुरानी व्यवस्था के तहत कर/टैक्स दरें और स्लैब कर/टैक्स वर्ष 2026-27 में अपरिवर्तित रहते हैं। इसी तरह, वैकल्पिक पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब, दरें, अधिभार, उपकर, छूट और मानक कटौती अपरिवर्तित रहती हैं। साथ ही, नई और पुरानी कर/टैक्स व्यवस्थाएं एक साथ मौजूद रहती हैं। दोनों के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कर/टैक्स कटौती और छूट आपकी कर/टैक्स योग्य आय में क्या अंतर लाते हैं। दो व्यवस्थाओं के बीच का चुनाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है। दोनों व्यवस्थाओं के तहत तुलनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण करने की सलाह दी जाती है, फिर उसे चुनें जो आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

<sup>12</sup> उन छूटों/कटौतियों की उदाहरणात्मक सूची जिन्हें एक करदाता को नई कर/टैक्स व्यवस्था चुनते समय छोड़ना पड़ सकता है:- अवकाश यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, रोजगार के दौरान दैनिक खर्च, स्थानांतरण भत्ता, सहायक भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, अन्य विशेष भत्ते, मानक कटौती, पेशेवर कर/टैक्स, आवास ऋण पर ब्याज और अन्य कटौतियां।

वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था (60 वर्ष से कम आयु के करदाता) बनाम नई कर/टैक्स व्यवस्था स्लैब दरों की तुलना इस प्रकार है:

आयकर स्लैब	नई कर/टैक्स व्यवस्था (रु. में)	पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था (रु. में)
शून्य	0 - 400,000	0 - 250,000
5%	400,001 से 800,000	250,001 से 500,000
10%	800,001 से 1,200,000	
15%	1,200,001 से 1,600,000	
20%	1,600,001 से 2,000,000	500,001 से 1,000,000
25%	2,000,001 से 2,400,000	
30%	2,400,000 से अधिक	1,000,000 से अधिक

**नोट:**

- 60 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल छूट सीमा 250,000 रु. (पुरानी व्यवस्था) / 400,000 रु. (नई व्यवस्था) है; नई कर/टैक्स व्यवस्था के स्लैब दरों को आयु वर्ग के आधार पर अलग नहीं किया गया है। हालाँकि, पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था के तहत, वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष की आयु) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए कर/टैक्स से मुक्त मूल आय सीमा क्रमशः 300,000 रु. और 500,000 रु. है।
- यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 मिलियन (50 लाख) रु. से अधिक है लेकिन 10 मिलियन (1 करोड़) रु. से अधिक नहीं है, तो ऐसे आयकर पर 10% का अधिभार (Surcharge)।
- यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 10 मिलियन रु. से अधिक है लेकिन 20 मिलियन रु. से अधिक नहीं है, तो ऐसे आयकर पर 15% का अधिभार।
- यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 20 मिलियन रु. से अधिक है, तो ऐसे आयकर पर 25% का अधिभार।
- स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) आयकर और अधिभार का 4% है।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 196 के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और लाभांश (डिविडेंड्स) आय के लिए अधिभार दर 15% तक सीमित है।
- आय वाले व्यक्तियों के मामले में लागू सीमाएँ, अधिभार की दरें और अधिकतम सीमांत कर/टैक्स दर (MMR) निम्नलिखित हैं:

कुल आय	पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था	नई कर/टैक्स व्यवस्था
	<b>अधिभार की दर / MMR</b>	
5 मिलियन रु. तक	शून्य	शून्य
5 और 10 मिलियन रु. के बीच	10% / 34.32% (MMR)	10% / 34.32% (MMR)
10 और 20 मिलियन रु. के बीच	15% / 35.88% (MMR)	15% / 35.88% (MMR)
20 और 50 मिलियन रु. के बीच	25% / 39% (MMR)	25% / 39% (MMR)
50 मिलियन रु. से अधिक	37% / 42.74% (MMR)	25% / 39% (MMR)

**नोट:** नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत, किसी व्यक्ति की कर/टैक्स देयता पर लगाया जाने वाला अधिकतम अधिभार 25% तक सीमित कर/टैक्स दिया गया है।

- नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत, मानक कटौती (standard deduction) 75,000 रु. है, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत यह 50,000 रु. है।

9. नई कर/टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यक्तिगत कर/टैक्स संरचना के रूप में निर्धारित किया गया है, हालांकि करदाता अभी भी पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। नई कर/टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है और पुरानी व्यवस्था के साथ सह-अस्तित्व में रहेगी, जिसमें करदाताओं के लिए तीन कर/टैक्स स्लैब और विभिन्न छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं। नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत कर/टैक्स का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों को कुछ छूटों और कटौतियों को छोड़ना होगा। दूसरी ओर, पुरानी कर/टैक्स व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति 2026-27 में अपनी आय पर उसी तरह कर/टैक्स का भुगतान करना जारी रखेंगे, जैसे उन्होंने पिछले वित्तीय वर्षों में किया था।
10. 1 अप्रैल, 2026 से, यदि किसी निवासी व्यक्ति की कर/टैक्स योग्य आय 1,200,000 रु. के बराबर या उससे कम है, तो नई कर/टैक्स व्यवस्था चुनने पर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 156 के तहत कर/टैक्स राहत के कारण देय कर/टैक्स शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय 1,200,000 रु. से अधिक नहीं है) अधिनियम की धारा 156 के तहत छूट का लाभ उठा सकता है। शिक्षा उपकर की गणना से पहले आयकर से यह कटौती योग्य है। प्रभावी रूप से, इसका अर्थ यह होगा कि 1,200,000 रु. तक की शुद्ध कर/टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाता (विशेष आय, जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर) नई व्यवस्था के तहत शून्य कर/टैक्स का भुगतान करना जारी रखेंगे। दूसरे शब्दों में, नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत 1,200,000 रु. (75,000 रु. की मानक कटौती वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए 1,275,000 रु.) तक की वार्षिक आय के लिए कोई कर/टैक्स स्लैब लागू नहीं होगा। इसलिए, 1,275,000 रु. तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई कर/टैक्स व्यवस्था के तहत कर/टैक्स देयता शून्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त कर/टैक्स दरें परिवर्तन के अधीन हैं, क्योंकि वे उस कर/टैक्स वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें निपटान या बिक्री होती है।

### (ई) कर/टैक्स भुगतान का समय और तरीका

खरीद के समय उपलब्ध कोई भी शेयर मूल्य छूट आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य अनुलाभ (taxable perquisite/परकिसीट्स) मानी जाएगी। आपका नियोक्ता आप पर लागू दर से कर/टैक्स की कटौती (withhold) करेगा और कानून के अनुसार अधिकारियों को कर/टैक्स जमा करेगा।

आप लाभांश (डिविडेंड्स) आय और पूंजीगत लाभ पर कर/टैक्स का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके नियोक्ता को इन राशियों पर कर/टैक्स की कटौती या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के करों का भुगतान आपके द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर, प्रत्येक कर/टैक्स वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किया जाना चाहिए।

अग्रिम कर/टैक्स (Advance tax) किस्तों में देय है। 2026-27 कर/टैक्स वर्ष के लिए, देय तिथियां 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं। अग्रिम कर/टैक्स नियमों के अनुसार आपकी अनुमानित वार्षिक कर/टैक्स देयता का भुगतान वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर किया जाना चाहिए। जबकि आपका नियोक्ता खरीद पर अनुलाभ पर स्रोत पर कर/टैक्स (TDS) काटेगा, फिर भी यदि आप लाभांश (डिविडेंड्स) कमाते हैं या पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं तो आपको अग्रिम कर/टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

15 मार्च तक, वर्ष के लिए आपकी कुल कर/टैक्स देयता का 100% चुका दिया जाना चाहिए। अग्रिम कर/टैक्स का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज लग सकता है। हालांकि, जहाँ पूंजीगत लाभ वर्ष में बाद में उत्पन्न होता है, पूर्व की किस्तों में उनका अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, पूर्व की किस्तों में कमी के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाता है, बशर्ते शेयरों की बिक्री के बाद पूंजीगत लाभ पर देय अग्रिम कर/टैक्स बाद की किस्त(किस्तों) में शामिल हो।

आपकी स्थिति पर लागू होने वाले विशिष्ट कर/टैक्स प्रभावों को समझने के लिए आपको अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

**लॉक-अप अवधि की समाप्ति पर यदि मैं अपना निवेश तुरंत नहीं भुनाता हूँ, तो कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क लागू हो सकते हैं।**

बिक्री/भुनाने (redemption) से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या मुनाफे पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर/टैक्स लागू होगा। यदि आप लॉक-अप अवधि की समाप्ति पर अपना निवेश तुरंत नहीं भुनाने का निर्णय लेते हैं, यानी, यदि आप FCPE इकाइयों को 'यथावत (as is)' बनाए रखना जारी रखते हैं, तो कोई लाभ या मुनाफा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है; परिणामस्वरूप, कोई

कर/टैक्स देय नहीं होगा। पूंजीगत लाभ कर/टैक्स केवल तभी लग सकता है जब आप इकाइयों/शेयरों को बेचने का निर्णय लेते हैं।

## बोनस शेयर

2026 L'Oréal कर्मचारी शेयर योजना के प्रतिभागी मुफ्त में L'Oréal एस.ए. (L'Oréal S.A.) के अतिरिक्त शेयरों के रूप में मिलान योगदान (matching contribution) प्राप्त करने के पात्र होंगे ("बोनस शेयर")। ये शेयर L'Oréal द्वारा निर्धारित और सूचना विवरणिका में निर्धारित अनुपात के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। बोनस शेयर जुलाई 2031 में वेस्टिंग अवधि (vesting period) के अंत में आपको दिए जाएंगे, जो फ्री शेयर प्लान नियमों के नियमों और शर्तों के अधीन है।

### V. क्या मुझे मुफ्त बोनस शेयरों के लिए अनुदान तिथि (Grant Date) पर कोई कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देना होगा?

मुफ्त बोनस शेयरों की अनुदान तिथि पर कोई कर/टैक्स देय नहीं होगा।

### क्या मुझे मुफ्त बोनस शेयरों के लिए वितरण तिथि (Delivery Date) पर कोई कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देना होगा?

हाँ। आप वितरण तिथि (वेस्टिंग पर) पर मुफ्त बोनस शेयरों के लिए कर/टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपका नियोक्ता पांच (5) वर्षों की वेस्टिंग अवधि के बाद मुफ्त में दिए गए बोनस शेयरों के रूप में नियोक्ता मिलान योगदान की पेशकश करेगा, जो निरंतर रोजगार शर्तों (Continued Employment Conditions) को पूरा करने के अधीन है। मुफ्त बोनस शेयर 3 L'Oréal शेयरों तक सीमित होंगे, जो आपके नियोक्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे।

### (ए) कर/टैक्स की प्रकृति

वेस्टिंग पर मुफ्त में दिए गए बोनस शेयरों के रूप में नियोक्ता के मिलान योगदान की राशि को "अनुलाभ (परकिसीटस/perquisite)" आय माना जाएगा और यह आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा<sup>13</sup>। दूसरे शब्दों में, कराधान आपके नियोक्ता से मुफ्त बोनस शेयरों की प्राप्ति या वितरण पर वेस्टिंग के समय होगा।

### (बी) कर/टैक्स योग्य राशि की गणना करने की विधि

आपके द्वारा भुगतान किए गए सदस्यता मूल्य (शून्य) और वेस्टिंग पर निर्दिष्ट तिथि पर मुफ्त बोनस शेयरों के उचित बाजार मूल्य (fair market value) के बीच के अंतर को "अनुलाभ" आय माना जाएगा और मुफ्त बोनस शेयरों के वितरण के समय आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा। आपका नियोक्ता लागू दर पर अनुलाभ आय पर कर/टैक्स की कटौती करेगा और कर/टैक्स अधिकारियों को रोके गए कर/टैक्स को जमा करेगा<sup>14</sup>। अनुलाभ राशि आपके फॉर्म 130 (पहले फॉर्म 16) / फॉर्म 123 (पहले फॉर्म 12BA) पर दिखाई जाएगी और कुल वेतन आय के हिस्से के रूप में कर/टैक्स रिटर्न में शामिल की जाएगी।

### (सी) कराधान की दर

कराधान की दर कर/टैक्स वर्ष 2031-2032 में आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी और लागू कर/टैक्स दरों पर कर/टैक्स लगाया जाएगा। आपका नियोक्ता प्रासंगिक कर/टैक्स दर पर कर/टैक्स की कटौती करेगा और कर/टैक्स अधिकारियों को रोके गए कर/टैक्स को जमा करेगा।

<sup>13</sup> वितरण तिथि पर मौजूदा कानूनों के अधीन। कृपया अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।

<sup>14</sup> कृपया मुफ्त बोनस शेयरों के वितरण के समय अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।

## अनुलाभ आय का मूल्यांकन

अनुलाभ का मूल्यांकन निम्नलिखित के बीच के अंतर पर गणना की जाती है:

- (i) **बोनस शेयर जारी करने की निर्दिष्ट तिथि पर शेयरों का "उचित बाजार मूल्य" (SEBI के साथ पंजीकृत "श्रेणी I मर्चेन्ट बैंकर" द्वारा निर्धारित); और**
- (ii) **आपके द्वारा भुगतान की गई या आपसे वसूल की गई सदस्यता राशि।**

परिणामस्वरूप, "उचित बाजार मूल्य" और आपके द्वारा भुगतान किए गए सदस्यता मूल्य (शून्य) और ऐसे "उचित बाजार मूल्य" के बीच के अंतर को निर्धारित करने के लिए श्रेणी I मर्चेन्ट बैंकर द्वारा जारी एक शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जिसे लागू कर/टैक्स दर पर कर/टैक्स योग्य अनुलाभ आय माना जाएगा। इसलिए, L'Oréal शेयरों के पूरे उचित बाजार मूल्य को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17 के तहत अनुलाभ माना जाएगा, और परिणामस्वरूप, यह आपके मुआवजे का हिस्सा बनेगा और "वेतन (Salaries)" शीर्ष के तहत आय के रूप में आपके हाथों में कर/टैक्स योग्य होगा। तदनुसार, कर/टैक्स वितरण तिथि पर लगेगा।

आपका नियोक्ता लागू दर पर कर/टैक्स की कटौती करेगा और कर/टैक्स अधिकारियों को रोके गए कर/टैक्स को जमा करेगा।

## नियोक्ता के हाथों में

कर/टैक्स का भुगतान करने के लिए आपके नियोक्ता पर कोई देयता नहीं होगी।

## VI. क्या मुझे मुफ्त बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों की बिक्री/भुनाने की तिथि पर कोई कर/टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देना होगा?

### (i) फ्रांस में कराधान

मुफ्त बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी इकाइयों को भुनाने पर प्राप्त लाभ पर आपको फ्रांस में आयकर नहीं देना होगा।

### (ii) भारत में कराधान

मुफ्त बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी इकाइयों/शेयरों को भुनाने पर प्राप्त लाभ या मुनाफे पर आपको भारत में पूंजीगत लाभ कर/टैक्स देना पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया "भुनाने पर (Upon Redemption)" अनुभाग देखें।

## रिपोर्टिंग दायित्व (रिपोर्टिंग ओब्लिगेशंस)

## VII. FCPE इकाइयों की सदस्यता, होल्डिंग और भुनाने (redemption), साथ ही लाभांश (डिविडेंड्स) के भुगतान (यदि लागू हो) के संबंध में मेरे रिपोर्टिंग दायित्व क्या हैं?

यदि आप आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार एक निवासी और सामान्य निवासी (resident and ordinarily resident) हैं, तो आप भारत और फ्रांस के बीच संधि के तहत उपलब्ध किसी भी लाभ के अधीन, भारत में अपनी वैश्विक आय पर कराधान के अधीन होंगे। इसलिए, आपको प्रासंगिक कर/टैक्स वर्ष में अपने आयकर रिटर्न (फॉर्म ITR-2) में योजना के तहत L'Oréal एस.ए. में अपने निवेश का होल्डिंग अवधि (खरीद के वर्ष से शुरू) के दौरान, लाभांश (डिविडेंड्स) (यदि कोई हो) की प्राप्ति और भुनाने के समय अर्जित पूंजीगत लाभ का खुलासा करना होगा।

## आपके आयकर रिटर्न ("ITR") में कर/टैक्स रिपोर्टिंग

भारतीय कर/टैक्स कानून के तहत, निवासी करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में प्रासंगिक कर/टैक्स वर्ष के दौरान किसी भी समय रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। तदनुसार, फॉर्म ITR-2<sup>15</sup> में अपना रिटर्न दाखिल करते समय, आपको अपने पास मौजूद L'Oréal एस.ए. के शेयरों/इकाइयों के साथ-साथ उनसे अर्जित किसी भी विदेशी-स्रोत आय की रिपोर्ट करनी होगी। यह रिपोर्टिंग दायित्व संपत्ति के मूल्य या उनसे प्राप्त आय की परवाह किए बिना लागू होता है।

L'Oréal शेयरों के मूल्य या लागत का खुलासा करने के अलावा, आपको ऐसे शेयरों से अर्जित आय (INR में), आय की प्रकृति, और आय का शीर्ष जिसके तहत इसे कर/टैक्स के लिए पेश किया गया है, रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

आपको ITR फॉर्म की **अनुसूची FA** (विदेशी संपत्तियों और भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय का विवरण) में इन विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रदान करना होगा। आपको लागू होने पर **अनुसूची विदेशी स्रोत आय (FSI)**, **अनुसूची AL**<sup>16</sup>, और **अनुसूची कर/टैक्स राहत (TR)** को भी पूरा करना होगा। इन अनुसूचियों में निम्नलिखित खुलासे की आवश्यकता होती है:

- विदेशी अधिकार क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या (यदि लागू हो)
- अर्जित विदेशी आय का प्रकार और राशि
- विदेशी करों का भुगतान, यदि कोई हो
- ऐसी आय पर देय भारतीय कर/टैक्स

भारत में कर/टैक्स उद्देश्यों के लिए विदेशी निवेश और प्रतिभूतियों की रिपोर्ट करते समय, विशिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू होती हैं। ऐसे निवेशों को "आयोजित कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और फॉर्म ITR-2 में अनुसूची FA की तालिका D में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इन संपत्तियों का मूल्य निर्धारित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा से परिवर्तित करके भारतीय रुपये में प्रकट किया जाना चाहिए।

विदेशी शेयरों से प्राप्त लाभांश (डिविडेंड्स) भारत में 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में उस वर्ष जिसमें उनका भुगतान किया जाता है, कर/टैक्स योग्य होते हैं। यह करदेयता इस बात की परवाह किए बिना लागू होती है कि लाभांश (डिविडेंड्स) भारत भेजा जाता है या विदेश में पुनर्निवेश किया जाता है।

फॉर्म ITR-2 में निवासी करदाताओं को प्रासंगिक कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए, विदेशी अधिकार क्षेत्र (आमतौर पर कैलेंडर वर्ष) द्वारा पालन की जाने वाली लेखांकन अवधि को रिपोर्टिंग अवधि के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, कर/टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए ITR दाखिल करते समय, आपको 1 जनवरी 2026 और 31 दिसंबर 2026 के बीच रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि अधिकांश विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के 1 अप्रैल से 31 मार्च के कर/टैक्स वर्ष के बजाय कैलेंडर वर्ष का पालन करते हैं। तदनुसार, यदि आपने दिसंबर 2026 में विदेशी शेयर हासिल किए हैं, तो उन्हें अभी भी 2026-27 कर/टैक्स वर्ष के लिए अनुसूची FA में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, जनवरी 2027 और मार्च 2027 के बीच अधिग्रहित विदेशी शेयर या अन्य संपत्तियों की रिपोर्ट चालू वर्ष के रिटर्न में नहीं की जाएगी, बल्कि कर/टैक्स वर्ष 2027-28 में इसका खुलासा किया जाना चाहिए।

विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए, लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

<sup>15</sup> (मसौदा) आयकर नियम, 2026 के तहत, कर्मचारियों को **फॉर्म ITR-2** का उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति को ITR-2 दाखिल करना होगा यदि उनके पास: (1) ESOP/RSU या विदेशी कंपनियों के शेयरों से लाभांश (डिविडेंड्स) आय है, (2) किसी भी विदेशी संपत्ति से आय है, जिसमें विदेशी बैंक खाते, विदेशी स्टॉक, RSUs, ESOPs या कोई अन्य संपत्ति शामिल है जिसके लिए अनुसूची FA में प्रकटीकरण की आवश्यकता है, और (3) कोई व्यावसायिक आय नहीं है। नया फॉर्म ITR-2 अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है; इसलिए, ITR-2 में अनुसूचियों के संदर्भ कर/टैक्स वर्ष 2025-26 के फॉर्म पर आधारित हैं।

<sup>16</sup> अनुसूची AL - वर्ष के अंत में संपत्ति और देनदारियां (ऐसे मामले में लागू जहां कुल आय 10 मिलियन रु. से अधिक हो)

## आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति (FA) अनुसूची को पूरा करने के लिए कौन बाध्य है?

कोई भी व्यक्ति जो प्रासंगिक कर/टैक्स वर्ष के दौरान भारत का कर/टैक्स निवासी (tax resident) होने की योग्यता रखता है और उस वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी संपत्ति रखता है, विदेशी बैंक खाते बनाए रखता है, या विदेशी-स्रोत से आय अर्जित करता है, उसे आयकर रिटर्न में अनुसूची FA पूरा करना आवश्यक है। यह दायित्व व्यक्ति के आय स्तर या कर/टैक्स स्लैब की परवाह किए बिना लागू होता है। भले ही आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो, यदि आप कर/टैक्स वर्ष के दौरान कोई विदेशी संपत्ति रखते हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

इसलिए, भारत के निवासी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करनी चाहिए, यहां तक कि निम्नलिखित स्थितियों में भी:

- आपकी कोई कर/टैक्स योग्य आय नहीं है, या आपकी आय मूल छूट सीमा के भीतर आती है (भले ही समान जानकारी अन्य अनुसूचियों जैसे कि अनुसूची AL में प्रकट की गई हो)।
- विदेशी संपत्ति पूरी तरह से प्रकट किए गए विदेशी या घरेलू आय स्रोतों का उपयोग करके अधिग्रहित की गई थी।

अनुसूची FA में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर/टैक्स अधिरोपण अधिनियम, 2015<sup>17</sup> के तहत जुर्माना हो सकता है। इसी तरह, कर/टैक्स योग्य विदेशी आय की रिपोर्ट करने में विफलता पर भी जुर्माना लग सकता है।

### जब आप L'Oréal एस.ए. (L'Oréal S.A.) के शेयरों में निवेश करते हैं तो फॉर्म ITR-2 में घोषणा का प्रारूप<sup>18</sup>:

31 दिसंबर, 2026 को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित किसी भी अन्य पूंजीगत संपत्ति (किसी भी लाभकारी हित सहित) का विवरण											
क्रम सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	संपत्ति की प्रकृति	स्वामित्व-प्रत्यक्ष/लाभकारी स्वामी/लाभार्थी	अधिग्रहण की तिथि <sup>19</sup>	कुल निवेश (लागत पर) (रुपये में) <sup>20</sup>	संपत्ति से प्राप्त आय <sup>21</sup>	आय की प्रकृति	इस रिटर्न में कर/टैक्स योग्य और प्रस्तावित आय		
									राशि	अनुसूची जहां प्रस्तावित है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
यदि आप यूनिट्स की शीघ्र बिक्री या मोचन से पूंजीगत लाभ आय अर्जित करते हैं											
	फ्रांस FR		L'Oréal एस.ए. की ईएसओपी (ESOP) योजना के तहत एफसीपीई (FCPE) की यूनिट्स	लाभकारी स्वामी	30/07/2026 <i>(यदि आप अन्य ईएसओपी योजनाओं के तहत यूनिट्स रखते हैं, तो कृपया प्रासंगिक विवरण अलग से दर्ज करें। कृपया</i>	(पाद टिप्पणी 20 देखें)। इसके अतिरिक्त, पूर्व के वर्षों में पुनर्निवेशित लाभांश (डिविडेंड्स) मूल्य (यदि	शून्य (यदि आवंटन की तिथि से दिसंबर 2026 तक कोई बिक्री नहीं होती है)। बाद के वर्षों में जब भी बेचा जाता है, तो कृपया बिक्री मूल्य को उस	शून्य। कृपया केवल तभी पूरा करें जब यूनिट्स बेची जाती हैं और धारण अवधि के आधार पर दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का चयन करें।	शून्य (यदि आवंटन की तिथि से दिसंबर 2026 तक यूनिट्स की कोई बिक्री नहीं होती है)। कृपया पूंजीगत लाभ आय	शून्य। कृपया अनुसूची सीजी (CG) लिखें - केवल यूनिट्स की बिक्री के मामले में	शून्य। कृपया B(9) लिखें - उन संपत्तियों की बिक्री से जहां उपरोक्त B1 से B8 लागू नहीं होते हैं- केवल यूनिट्स की बिक्री और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के मामले में

<sup>17</sup> आयकर अधिनियम, 2025 ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना 2026 (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme 2026) नामक एक नई योजना शुरू की है, जो करदाताओं को ITR में (ESOPs या कर्मचारी लाभ योजनाओं सहित) कर/टैक्स-मुक्त या गैर-रिपोर्ट की गई निर्दिष्ट विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा करने का एकमुश्त अवसर प्रदान करती है, जिस पर कर/टैक्स या शुल्क के भुगतान के साथ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर/टैक्स अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत आगे के कर/टैक्स, दंड और अभियोजन से छूट मिलती है। ITR में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफलता पर दंड लगेगा।

<sup>18</sup> घोषणा का प्रारूप केवल उदाहरणात्मक है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अन्य ईएसओपी (ESOP) योजनाओं के तहत यूनिट्स रखते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रकटीकरण करने पड़ सकते हैं। कृपया अपना कर/टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।

<sup>19</sup> यूनिट्स जारी करने/आवंटन की तिथि दर्ज करें।

<sup>20</sup> कृपया यूनिट्स की अपनी (INR) खरीद लागत (अर्थात्, शेयरों का उचित बाजार मूल्य (एफएमवी/FMV)) दर्ज करें। [= सदस्यता (संदर्भ मूल्य) के समय € में शेयरों के उचित बाजार मूल्य \* आपको आवंटित यूनिट्स की संख्या (अमुंडी (Amundi) पोर्टल देखें) \* L'Oréal द्वारा तय यूरो और INR के बीच विदेशी विनिमय दर का गुणा करें]।

<sup>21</sup> कानून के तहत, लाभांश (डिविडेंड्स) के माध्यम से आय के संबंध में, कृपया लाभांश (डिविडेंड्स) राशि (जो आपको प्राप्त हुई और पुनर्निवेशित हुई) को € में (अमुंडी पोर्टल देखें) उस महीने के ठीक पिछले महीने के अंतिम दिन की € से INR की SBI TT खरीद दर से गुणा करें, जिस महीने में लाभांश (डिविडेंड्स) घोषित, वितरित या भुगतान किया जाता है।

					कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।)	कोई हो) जोड़ें (+)।	महीने के ठीक पिछले महीने के अंतिम दिन की भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की टीटी (TT) खरीद दर से गुणा करें जिसमें बिक्री होती है, और बेचे गए शेयरों के अनुपात में कॉलम 6 में दी गई निवेश लागत को घटाएं (-)। कृपया कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।	कृपया कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।	(कर/टैक्स योग्य) केवल यूनिट्स की बिक्री के मामले में ही भरें <sup>22</sup> । कृपया कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।		(अल्पकालिक के मामले में, कृपया पूंजीगत लाभ अनुभाग में A5 अनुसूची भरें।
--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------------------	--	--	---	--	--

**यदि आप यूनिट्स से लाभांश (डिविडेंड्स) आय (लाभांश (डिविडेंड्स) के पुनर्निवेश सहित) अर्जित करते हैं**

	फ्रांस FR	L'Oréal एस.ए. की ईएसओपी योजना के तहत एफसीपीई की यूनिट्स	लाभकारी स्वामी		INR (रुपये) में पुनर्निवेशित लाभांश (डिविडेंड्स) का मूल्य (यदि लागू हो)। पाद टिप्पणी 21 देखें। कृपया कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।	शून्य (यदि आवंटन की तिथि से दिसंबर 2026 तक कोई लाभांश (डिविडेंड्स) अर्जित या पुनर्निवेशित नहीं हुआ है)। यदि आप बाद के वर्षों में लाभांश (डिविडेंड्स) आय (अर्जित या पुनर्निवेशित) अर्जित करते हैं, तो कृपया नीचे पाद टिप्पणी 21 देखें और कर/टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।	लाभांश (डिविडेंड्स) - "अन्य स्रोतों से आय"।	अर्जित और पुनर्निवेशित लाभांश (डिविडेंड्स) की राशि, यदि कोई हो। कृपया नीचे पाद टिप्पणी 21 देखें।	अनुसूची एफ.ए. (F.A.)	शून्य।
--	-----------	---	----------------	--	---	--	---	--	----------------------	--------

\* इस अनुसूची में प्रकटीकरण तब तक अनिवार्य है जब तक आप आय अर्जित नहीं करते/यूनिट्स को भुना नहीं लेते।

आपको फॉर्म ITR-2 में अनुसूची AL (Schedule AL) पूरा करने की भी आवश्यकता है, जो संबंधित कर/टैक्स वर्ष के अंत तक करदाता द्वारा धारित सभी संपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण अनिवार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुसूची AL दाखिल करना अनिवार्य है जिनकी कुल आय 10 मिलियन रुपये (सभी कटौतियों के बाद) से अधिक है और जो वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। 10 मिलियन रुपये से कम कुल आय वाले व्यक्तियों को यह अनुसूची पूरी करने की आवश्यकता नहीं है।

**मोचन पर बिक्री आय की भारत में वापसी (प्रत्यावर्तन)**

2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान की शर्तों के अधीन, आप योजना के तहत हासिल की गई यूनिट्स के मोचन (redemption) का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मोचन से प्राप्त सभी आय को मोचन की तारीख के 180 दिनों के भीतर निवासी कर्मचारियों द्वारा भारत में वापस (प्रत्यावर्तित) किया जाना चाहिए।

भारतीय विदेशी मुद्रा नियमों के तहत, भारत में निवासी एक व्यक्ति जिसे कोई विदेशी मुद्रा देय या प्राप्य हो जाती है, उसे ऐसी विदेशी मुद्रा की वसूली करने और उसे भारत में वापस लाने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। वसूली होने पर, आय को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से भारत में लाया जाना चाहिए:

- भारत में धनराशि स्थानांतरित करना या प्राप्त करना, या
- भारतीय रुपये के बदले भारत में एक अधिकृत डीलर को विदेशी मुद्रा बेचना।

<sup>22</sup> कृपया अर्जित पूंजीगत लाभ (दीर्घकालिक या अल्पकालिक) दर्ज करें, अर्थात्, कॉलम 7 में से घटाएं (-) कॉलम 6।

किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा वापस लाने वाला तब माना जाता है जब वह भारत में किसी अधिकृत डीलर के पास बनाए गए किसी विदेशी बैंक या एक्सचेंज हाउस के खाते से भारत में भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करता है।

शेयरों के मोचन से उत्पन्न होने वाली आय को आपके आयकर रिटर्न में रिपोर्ट किया जाना चाहिए और अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के साथ लागू स्लैब दरों पर कर/टैक्स योग्य होगी।

### VIII. नियोक्ता के रिपोर्टिंग दायित्व क्या हैं?

आपका नियोक्ता आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act) के तहत किसी भी अतिरिक्त रिपोर्टिंग दायित्व के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि जिस महीने में कर/टैक्स काटा गया है, उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर स्रोत पर काटे गए कर/टैक्स को जमा करना है। नियोक्ता को स्रोत पर काटे गए कर/टैक्स को दर्शाने वाले त्रैमासिक विथहोल्डिंग टैक्स (withholding tax) विवरण दाखिल करने की भी आवश्यकता है। अनुलाभ मूल्य और संबंधित काटे गए कर/टैक्स को फॉर्म 130 और 123 (पूर्व में क्रमशः फॉर्म 16 और फॉर्म 12BA) में रिपोर्ट किया जाएगा, जो कर/टैक्स वर्ष की समाप्ति के बाद प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं।

अलग से, आपके नियोक्ता को प्रत्येक छमाही (अर्थात, सितंबर या मार्च के अंत तक) की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर फॉर्म OPI में एक रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता है, जिसके दौरान 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान के तहत शेयर या हित अधिग्रहित या स्थानांतरित किए जाते हैं। यह फाइलिंग नियोक्ता के अधिकृत डीलर (AD) बैंक के माध्यम से की जानी चाहिए और इसमें प्रेषण, शेयरों की पुनर्खरीद, लाभार्थियों और अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। भारतीय भाग लेने वाली संस्थाओं को 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान की पूरी अवधि के लिए ऐसी रिपोर्ट दाखिल करना जारी रखना आवश्यक है।

\* \* \*

*यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूर्ण या निर्णायक मानकर इस पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित सलाह के लिए, कर्मचारियों को 2026 L'Oréal एम्प्लॉयी शेयर प्लान में भाग लेने के कर/टैक्स परिणामों के संबंध में अपने स्वयं के कर/टैक्स सलाहकारों से परामर्श लेना चाहिए।*